डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या **02/2023-24** का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सैलेबी/जीएच/चैन्नई/सीपी-III/2023-28/

AERA/20010/MYTP/Celebi/GH/Ahmedabad/CP-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

****

आदेश संख्या 02/2023-24/

Order No. 02/2023-24

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

जारी करने की तारीख: 05.01.2023/Date of Issue: 05.01.2023

सेवा/Service : **ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं /Ground Handling Services (GHS)**

सेवा प्रदाता/Service provider : **मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड/ M/s Celebi Ground Handling Services Chennai Pvt. Ltd**

हवाईअड्डाAirport : **चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट/Chennai International Airport**

हवाईअड्डा प्रचालक/Airport Operator : **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.)/ Airport Authority of India (AAI)**

विषय : **मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सी.जी.एच.एस.सी) द्वारा चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में/**

Sub : **In the matter of Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Celebi Ground Handling Services Chennai Pvt. Ltd. (CGHSC) at Chennai International Airport w.e.f. Commercial Operations Date (COD) till 31.03.2023.**

मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचएससी) ने दिनांक 04.04.2023 के पत्र द्वारा प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि प्राधिकरण द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक वह चेन्नई हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (जीएचएस) के लिए तदर्थ टैरिफ अनुमोदित करें। मैसर्स सीजीएचएससी ने प्राधिकरण को सूचित किया है कि चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक, अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उसका चयन किया है।

2. मैसर्स सीजीएचएससी ने बाद में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की:

(i) एएआईएल द्वारा जारी दिनांक 18.11.2022 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) संख्या एएआई/ओपी-12018/8/2022-प्रचालन

(ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति

(iii) एएआई और सीजीएचएससी (मैसर्स सीएएसआईपीएल द्वारा बनाया गया एसपीवी) के बीच निष्पादित लाइसेंस करार

<u>मैसर्स सीजीएचएससी के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई (हवाईअड्डा प्रचालक) ने दिनांक 18.11.2022 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट्स सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएएसआईपीएल) के पक्ष में जारी कर दिया है। एलओए जारी करने के अनुसरण में दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के "कार्य सौंपने संबंधी पत्र" के पैरा 5 के संदर्भ में मैसर्स सीएएसआईपीएल ने पूर्ण स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) अर्थात "मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचएससी)" बनाया। उपर्युक्त एसपीवी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 02.12.2022 को निगमित कर दिया गया था।

4. प्राधिकरण नोट करता है कि सीजीएचएससी ने बीसीएएस के दिनांक 21.03.2023 के आदेश द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से अपेक्षित सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है, जो जारी किए जाने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

5. प्राधिकरण का यह भी मानना है कि नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के दिनांक 23.09.2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई-मोका द्वारा नॉन-शेड्यूल्ड प्रचालक परमिट (एनएसओपी) और सामान्य विमानन (जीए) के लिए प्रमुख हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान संबंधी निदेशों के अनुपालन में; मैसर्स सीजीएचएससी ने विभिन्न ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार पेश किए हैं।

6. वर्तमान में मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) चेन्नई हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) है। प्राधिकरण ने तदर्थ टैरिफ के प्रयोजन से आईएसपी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दरों का विश्लेषण करने और एआईएएसएल, चेन्नई के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों से मिलान करने का निर्णय लिया। परंतु यह देखा गया है कि चेन्नई हवाईअड्डे पर इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए एआईएएसएल की टैरिफ संरचना की आईएसपी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दर कार्ड की संरचना से तुलना नहीं की जा सकती है।

7. अत: प्राधिकरण ने सीजीएचएससी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दरों का बैंगलुरू हवाईअड्डे पर इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य स्वतंत्र सेवा प्रदाता (एयर इंडिया सैट्स [एआईएएसएटीएस] और सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [सीएएसआईपीएल]) का अनुमोदित टैरिफ से विश्लेषण/तुलना कर ली है। तदनुसार ऊपर उल्लिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं की टैरिफ के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण सीजीएचएससी के लिए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर चेन्नई हवाईअड्डे पर प्रत्येक श्रेणी के विमान कोड के लिए संलग्नक –I, II और III के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 30.09.2023 तक या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, न्यूनतम टैरिफ दर अंगीकार करने का निर्णय लेता है।

<u>आदेश</u>

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड को **सीओडी से 30.09.2023** तक, या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नई में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक-I, II और III** के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचएससी) चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री शैलेन्द्र चौधरी, निदेशक,
मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड,
संख्या 12/18, आरएमएस अर्पाटमेंट, तीसरा तल,गोपालकृष्ण स्ट्रीट,
पोंडी बाज़ार, टीनगर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600017

प्रतिलिपि:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003 **को सूचनार्थ**
2) डॉ. शरद कुमार, हवाईअड्डा निदेशक, एएआई, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मीनांबक्कम,चेन्नई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए